ई-1757821

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधीक्षक,
नारी बंदी निकेतन,
लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 12-08-2024

विषय- नारी बंदी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध 08 महिला सिद्धदोष बंदियों को गृह अवकाश स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-21762/प्रोवेशन-2/गृह अवकाश/2023, दिनांक 19-07-2024 में किये गये प्रस्ताव/संस्तुति के आधार पर नारी बंदी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध 08 सिद्धदोष महिला बंदियों को गृह अवकाश (दण्डादेश का निलम्बन) का प्रपत्र दो प्रतियों में संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त बंदियों को आदेश में उल्लिखित धनराशि का निजी बन्धक (PERSONAL BOND) निर्धारित प्रपत्र पर भराने के पश्चात संलग्न सूची के अनुसार उन्हें 15 (पन्द्रह) दिनों के लिए घर जाने हेतु गृह अवकाश पर मुक्त किया जाय। बंदियों को गृह अवकाश पर मुक्त करने के पूर्व जेल मैनुअल-2022 के अध्याय-13 के प्रस्तर-249 में उल्लिखित परिशिष्ट-4 के बिन्दु संख्या-9 में प्रावधानित व्यवस्थानुसार यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि:-

(a) कारागार में उसका काम और आचरण अच्छा रहा है।

(b) वह कम से कम एक वर्ष से कारागार में है।

(c) उसके प्रोत्साहन खाते में उसके क्रेडिट पर पर्याप्त राशि है, जिससे वह कारागार से घर जाने और वापस आने के लिए यात्रा में होने वाले पूरे व्यय को वहन करने के बाद भी उसके खाते में कम से कम 1000 रूपये शेष रहें, तथा

(d) उसके जाने के लिए एक उपयुक्त घर है।

2- उपरोक्त प्रतिबन्धों के अनुसार जो बंदी गृह अवकाश के लिए अर्ह न हो, उनके गृह अवकाश स्वीकृति के आदेश शासन को तुरन्त वापस कर दिये जाये।

3- यदि किसी बंदी की रिहाई हो चुकी हो, तो उसके गृह अवकाश सम्बन्धी आदेश मूलरूप में शासन को वापस कर दिये जाये।

4- उपरोक्त बंदियों को शासनादेश की प्रति प्रपत्र के प्रस्तर-2 में अवकाश की अवधि की तिथियों को भरने के पश्चात दे दें।

5- कृपया तद्नुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि सूची सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।

3- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र दिनांक 19-07-2024 के क्रम में।

4-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्र0	बंदी का नाम/पिता का नाम	निवासी जनपद	बंदी संख्या
1	2	3	4
01	सुनीता देवी पत्नी श्री उमाशंकर	पीलीभीत	1384
02	अमृती देवी पत्नी श्री रामस्वरूप	पीलीभीत	1382
03	माया देवी पत्नी श्री नारायण लाल	पीलीभीत	1387
04	हाजरा बेगम पत्नी मो0 शफीक	फिरोजाबाद	2222
05	कृष्णा पत्नी श्री अजय प्रताप	हाथरस	2195
06	मधु पत्नी श्री शिवप्रताप	हाथरस	2196
07	सुनीता देवी पत्नी श्री महीपाल सिंह	बिजनौर	2053
08	राजकुमारी पत्नी रामचन्दर	लखनऊ	1802

विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।